

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-13/03/2025

विषय:— “विकसित बिहार के सात निश्चय-1” अंतर्गत मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल में नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं में अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में, रु० 9,49,22,200/—(रुपये नौ करोड़ उनचास लाख बाइस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु० 1,00,00,000/—(रुपये एक करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि “विकसित बिहार के सात निश्चय-1” अन्तर्गत राज्य में 54 मुख्यमंत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल के निर्माण हेतु, 23 मुख्यमंत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल के निर्माण एवं 16 मुख्यमंत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के निर्माण के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें केवल भवन, फर्निचर आदि कार्य ही शामिल रहने के कारण 6 विविध प्रयोगशालायें (Skills Lab, Community Health Nursing Lab, Nutrition Lab, Anatomy and Physiology Lab, Pre-Clinical Lab & IT Lab) हेतु उपकरण एवं उपस्करों को अधिष्ठापित नहीं किया जा सका है।

2— अतएव नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत Indian Nursing Council के National Health Policy Revised Operational Guidelines-2017 के अनुरूप संस्थान- कोटिवार उपकरणों की संख्या एवं बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना अन्तर्गत गठित तकनीकी विशेषज्ञता समिति के द्वारा प्राक्कलित दर पर होने वाले व्यय विवरणी प्रमंडलवार तैयार की गयी है। निर्माण एजेन्सी (BMSICI) के द्वारा प्रमंडलवार Turnkey Basis पर सभी संस्थानों में उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जाना है। इसके लिए मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल अन्तर्गत नवनिर्मित संस्थानों हेतु रु० 9,49,22,200/—(रुपये नौ करोड़ उनचास लाख बाइस हजार दो सौ) मात्र की मांग की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, रु० 9,49,22,200/—(रुपये नौ करोड़ उनचास लाख बाइस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-566(7), दिनांक-20.03.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

3— इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

क्र०स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययदेश रा० एवं दिनांक
1	2023-24	4,00,00,000/—	रा० 246(7), दिनांक-27.09.2023
2	2023-24	3,00,00,000/—	स० -475(7), दिनांक-15.02.2024
कुल योग—		7,00,00,000/—	

4— तदनुसार “विकसित बिहार के सात निश्चय-1” अंतर्गत मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडल में नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं में अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में, रु० 9,49,22,200/—(रुपये नौ करोड़ उनचास लाख बाइस हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु० 1,00,00,000/— (रुपये एक करोड़) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-566(7), दिनांक-20.03.2023 में वर्णित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह व्ययादेश/राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7 इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8 इस राशि के व्यय का वहन भाग संख्या 20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105- एलोपैथी-0112-ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल, विपत्र कोड-20-4210031050112 अन्तर्गत विषय शीर्ष-0112-52 02 मशीने एवं उपस्कर-अन्य ईकाई में उपबधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PIBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-5265 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशारी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे।

11- प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं० सं०-7/बजट-46-09/2023 के पृष्ठ-13/टि० पर प्राप्त है।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- यह मात्र व्ययादेश है आवटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वाराज

(शैलेश कुमार)

सूचक के अपर सचिव।

ज्ञापाक:-7/बजट-46-09/2023 - 5 // (7) /स्वा०, पटना, दिनांक-13/03/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रगडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रगडल, मुंगेर एवं भागलपुर प्रगडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर, बेगुसराय, जमुई, खगडिया, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर एवं बाका/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-राह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अरौनिक शल्य चिकित्सक-राह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर, बेगुसराय, जमुई, खगडिया, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर एवं बाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-6 एवं 7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सबधित को ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सूचक के अपर सचिव।